न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 69/14 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2014/00300

उनवान

1. सामन्ती पत्नी रज्जो
2. ईश्वरी
3. जीतेन्द्र
4. वीरेन्द्र — पुत्रान रज्जो
5. मुकेश
6. कृष्णा कुमारी पुत्री रज्जो

जाति जाटव नि0 ग्राम तेहरा लोधा तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. जगमोहन पुत्र नवल सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम तेहरा लोधा तहसील व जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 का0 अ0 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दि0 12.04.2014 प्र.सं. 10/2007 उनवानी जगमोहन बनाम रज्जो।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दुलीचन्द शर्मा, हेमराज शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक– 29.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाण्ट, इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 439/0.10 है0 स्थित ग्राम तेहरा लोधा तहसील व जिला भरतपुर का वादी रैस्पो0 खातेदार कृषक है व उसका ही कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण अपीलाण्ट, वादी रैस्पो0 से रंजिश रखते हैं। प्रतिवादी अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

खसरा नम्बर 443/0.29 है0 का खातेदार कृषक है। वादी व प्रतिवादी के उक्त दोनों नम्बर चिपटेमा हैं। इसलिये प्रतिवादी लटठ के बल पर वादी की आराजी पर कब्जा करना चाहता है। अतः वह अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादी को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये, प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने दोनों विवादित आराजी खसरा नम्बर बाबत् समस्त हाल व साविक रिकार्ड व मिलान क्षेत्रफल व साविक व हाल नक्शा पेश किया है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने भूमि अवाप्ति का रिकार्ड भी प्रस्तुत किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजो के परे जाकर तनकी संख्या 01 का निर्णय किया है। उक्त दस्तावेजात के अनुसार खसरा नम्बर 146 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो कि साविक खसरा नम्बर 171 से बना है जो कि साविक रिकार्ड में मकबूजा राज0 सरकार दर्ज है। परन्तु उक्त नम्बर बाद में रैस्पो0 की गैर खातेदारी में चला गया और आगे चलकर रैस्पो0 उक्त नम्बर का खातेदार हो गया। रिकार्ड मे हाल खसरा नम्बर 146 साविक खसरा नम्बर 171 के अनुसार ही आया जबकि हाल खसरा नम्बर 439 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साविक खसरा नम्बर 189 व साविक खसरा नम्बर 171 से बना है। जबकि साविक खसरा नम्बर 171 से हाल खसरा नम्बर 146 बन चुका था तो साविक खसरानम्बर 171 का अब कोई भी रकवा शेष नहीं रहा तथा साविक खसरा नम्बर 189 रिकार्ड के अनुसार ग्राम के मार्ग व पगडंडियों में शामिल था जो आगे चलकर आम रास्ता बना जिसमें डाबर सडक का निर्माण हो चुका है। इन समस्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह बखूबी प्रमाणित हो जाता है कि हाल खसरा नम्बर 439 आम रास्ता है जिसमें से वर्तमान में सडका का निर्माण हो गया है। परन्तु खसरा नम्बर 439 बन्दोबस्त विभाग ने किस्म बंजड रखते हुये रैस्पो0 को खातेदारी में दे दिया। तथा इसके विपरीत हाल खसरा नम्बर 146 को रास्ता आम दर्ज कर दिया जबकि उक्त खसरा नम्बर 146 रैस्पो0 की खातेदारी का है। इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग ने खसरा नम्बर 146 व 439 को मौके व रिकार्ड से भिन्न दर्ज कर दिया। इस प्रकार रैस्पो0 का खसरा नम्बर 439 से कोई संबंध व सरोकार ही नहीं रहा। अदालत तहत ने इस तथ्य पर गौर ना करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 आराजी खसरा नम्बर 439 का खातेदार कृषक है। जिस पर वह बीसो साल से वहैसियत खातेदार काविज काश्त है। उक्त खसरा नम्बर के चिपटेमा खसरा नम्बर 443 अपीलांट का है। जिस पर वह जबरन कब्जा करना चाहते हैं। दिनांक 01.11.2006 को अपीलाण्ट सभी एक राय मशविरा कर अपने हाथो में लाठी, डन्डा आदि लेकर रैस्पो0 से मारपीट करके गये थे। जिसका इस्तगासा न्यायालय एसीजेएम कोर्ट नम्बर 1 भरतपुर में दिनांक 02.11.2006 को प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विवादित आराजी कभी भी रास्ते आम की आराजी नहीं रही है एवं ना ही अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उक्त कथन को सावित कर पाये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद के निस्तारण हेतु पॉच तनकियॉ निर्धारित की गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :–

6. तनकी संख्या 01 "आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है" प्रकरण से संबंधित दूसरी अपील संख्या 68/14 उनवानी सामन्ती बनाम जगमोहन में विवादित आराजी खसरा नम्बर 439/0.10 है0 पर वादी रैस्पो0 के खातेदारी अधिकार वैध नहीं पाये जाकर, विवादित आराजी को गैर मुमकिन रास्ता में दर्ज किये जाने के आदेश हुये हैं। अतः वादी रैस्पो0 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं होने के कारण, वादी रैस्पो0 विवादित आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते हैं। तनकी विरूद्ध वादी रैस्पो0 निर्णित की जाती है।

7. तनकी संख्या 02 "आया दावा वादी मिस जोईन्डर ऑफ पार्टीज के दोष से ग्रसित है" अधीनस्थ न्यायालय के इस तनकी बाबत् निष्कर्षो से हम पूर्ण सहमत हैं। उसी अनुसार निर्णित की जाती है।

8. तनकी संख्या 03– " आया हाल वादग्रस्त आराजी गत मकबूजा सरकार रास्ता आम की आराजी है जिसे वादी ने अवैध रूप से अपने नाम दर्ज रिकार्ड करा कर धारा 42 आरटीएक्ट का उल्लघंन किया है" जैसा कि तनकी संख्या 01 की विवेचना में आ चुका है। विवादित आराजी पर वादी रैस्पो0 के खातेदारी अधिकार अवैध पाये गये हैं। अतः तनकी विरूद्ध वादी रैस्पो0 निर्णित की जाती है।

9. तनकी संख्या 04 – " आया वादग्रस्त आराजी हाल में मौके पर पक्की डाबर रोड है। वादी का कब्जा नहीं है" जैसा कि तनकी संख्या 01 की विवेचना में आ चुका है। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ते की होना प्रमाणित है। अतः तनकी विरूद्ध वादी रैस्पो0 निर्णित की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

10. अनुतोष— समस्त तनकीयात का निस्तारण हो चुका है। वादी रैस्पो0 अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता की होना प्रमाणित है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य समझते हैं।

11. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2014 निरस्त किये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

12. निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.12.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर